p>

Need to expedite consturction work of Sutlej Yamuna link canal for irrigation purpose in Haryana.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति जी, शून्यकाल में मैं एक बड़ा गंभीर विषय सदन के सामने रखना चाहता हूँ। 1976 में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और केन्द्र सरकार द्वारा मिलकर सतलुज यमुना लिंक का नींव पत्थर रखा गया था। उसके बाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब सरकार को आदेश दिया गया था कि हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को उसके हिस्से का पानी दिया जाए। 2003 के अंदर पंजाब सरकार ने वह जो ट्रीटी थी, उसको तोड़ने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का काम किया। उसके बाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 143 के तहत हमारे संविधान का प्रैज़िडैंशियल रेफरैन्स इस मुद्दे पर लगाया गया। अगली 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर हरियाणा, पंजाब और केन्द्र सरकार अपने पक्ष रखने का काम करेगी। मैं यह आग्रह करता हूँ कि जहाँ आज हमें डाक्टर की, वकील की या किसी प्रीस्ट की एकाध बार जरूरत पड़ती है, वहाँ आज हमें हर रोज़ दिन में तीन बार किसान की ज़रूरत पड़ती है। किसान के खेत के लिए सबसे अहम चीज पानी है। मैं यही मांग केन्द्र सरकार से करता हूँ कि केन्द्र सरकार 8 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दायर करे तो हरियाणा का, राजस्थान का और दिल्ली के किसानों का भी पक्ष रखे। उनकी आवाज बनकर उनके अधिकारों को, उनके पानी को उनके खेतों तक पहुंचाने का काम करे और एसवाईएल का निर्माण जो पिछले लगभग 35 से 40 साल से बाकी पड़ा है, उसे पूरा करवाने का काम करे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : Shri Chandra Prakash Joshi, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Shri Sharad Tripathi, and Dr. Manoj Rajoria are permitted to associate with the issue raised by Shri Dushyant Chautala.